

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २९/०३/२०१९

विषय :-

माँग संख्या— ४९ —जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष—६२—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९S470180796620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—४०/१५—१६, दिनांक १६.१२.२०१५ एवं संशोधित १९/१८—१९, दिनांक १०.०७.२०१८

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ परिशिष्ट—१ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (५+६)
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य	७९६—जन—जातीय क्षेत्र उपयोजना/ ६२—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	०५—निर्माण, ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड—४९S470180796620545	०.००	८९.६६	८९.६६

आवंटित राशि — ₹ नवासी लाख छियासठ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८—१९ के तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ ३४००.०० लाख (चौतीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक—१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट १ के स्तंभ ६ में वर्णित) स्वीकृत कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट—१ के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट—२, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

21/3/19

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूब)  
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख—१

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु-यथोक्त्

  
(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 239

रॉची, दिनांक :— 29/03/2019

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/बुण्डु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।


  
(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 239

रॉची, दिनांक :— 29/03/2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

  
(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख—1

  
(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19

अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 239

दिनांक 29/03/2019

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मोग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष -62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180796620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में चूंची अनुप्रक आगणन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उपवंश रु. 3400.00 लाख (चीतीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्तरीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	On-line Allotment Access No.	अस्तुवित
				राशि	प्रसंग						
1	सिंचाई प्रमंडल, बुजुर्ग (RNCCR011)	चूंची	काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन	40 / 15-16 प्र०स्त्री० दिनांक 16.12.15 एवं संशोधित प्र०स्त्री० 19/2018-19 प्र०स्त्री० दिनांक 10.07.2018 Online A.A.-87/0/12.07.18	8575.00	0.00	200.00	89.66	289.66	107466	Restoration work of Adradih Branch Canal (from 11.27 km to 19.437 km) including lining under Kanchi Weir Irrigation Scheme
			योग	200.00	89.66	289.66					

आवंटित राशि - नवासी लाख छियासठ हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधिक)(रमेश कुमार दुबे)  
विशेष सचिव(हमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह) 29.2.19  
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 230

दिनांक ..... 29/03/2019

का अनुलग्नक

परिशेष्ट -2

मांग संज्ञा-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जल-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष -62-मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180796620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में तुलीय अनुसूक आवाग्नन से प्राप्त राशि के उपरांत संशोधित बजट उत्तरवा. रु. 3400.00 लाख (लौटीस करोड) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अन्युकृति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	प्रधारित राशि	संशोधित आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डे (RNCCR011)	रांची	काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन	8575.00	40 / 15-16 प्र०स्थी० दिनांक 16.12.15 एवं संशोधित प्र०स्थी० 19/2018-19 प्र०स्थी० दिनांक 10.07.2018 Online A.A.-870/12.07.18	1038.00	29.66	1008.34	54899	काँची कमांड क्षेत्र अंतर्गत काँची सिंचाई योजना के गुरुवा नहर के 18.33 किमी० (लंबाई) से नियुक्त तमाङ शाखा नहर के लाइनिंग कार्य एवं सररना गमनती सहित मुनर्खान कार्य	
					0.00						
					100.00	60.00	40.00	88441			
			योग	1138.00	89.66	1048.34					

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल प्रत्यार्पित राशि - ₹ नवासी लाख छियास्त हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभियंता)(रमेश कुमार द्वेरा)  
विशेष सचिव(हमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1(अल्ला कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
29-3-19